बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 114/2024

ResultLives.com

शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या– ज्ञापांकः 11/वि०–11–09/2024–587, दिनांक– 21.02.2024 एवं शिक्षा विभाग के पत्रांक : 09/विविध–07/2024 – 282, दिनांक 09.03.2024 के आलोक में सत्र 2023–2025 के लिए इण्टरमीडिएट कक्षा में राज्य के सभी डिग्री महाविद्यालयों (अंगीभूत/संबद्ध/अल्पसंख्यक) के 11वीं कक्षा में अध्ययनरत् विद्यार्थियों एवं संबंधित अभिभावकों, डिग्री महाविद्यालय के प्राचार्यों, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सत्र 2024–25 में 12वीं कक्षा की पढ़ाई हेतु डिग्री कॉलेज से स्थानांतरित कर इन्टरस्तरीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन लेने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शिक्षा विभाग, बिहार के संकल्प संख्या– ज्ञापांकः 11/वि०–11–09/2024–587, दिनांक–21.02.2024 के द्वारा **दिनांक 01.04.2024** से राज्य के सभी डिग्री महाविद्यालयों (अंगीभूत/संबद्ध/अल्पसंख्यक) में इण्टर स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के पत्रांक : 09/विविध–07/2024 – 282, दिनांक 09.03.2024 के द्वारा डिग्री महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का कक्षा–12वीं में नामांकन दूसरे शैक्षणिक संस्थान में करने का निदेश दिया गया है।

2. उक्त के आलोक में सत्र 2023–25 के लिए इण्टरमीडिएट (11वीं) कक्षा में सम्प्रति अध्ययनरत् विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं संबंधित प्राचार्यो को सूचित किया जाता है कि राज्य के सभी डिग्री महाविद्यालयों (अंगीभूत/संबद्ध/अल्पसंख्यक) में सत्र 2023–24 के दौरान 11वीं कक्षा में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए राज्य के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2024–25 के लिए 12वीं कक्षा में पढ़ाई की व्यवस्था की जानी है, इस हेतु 11वीं कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों को उनके द्वारा दिये जाने वाले ऑनलाईन विकल्पों के आधार पर उन्हें उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाना है।

3. उपरोक्त से संबंधित इन्टरमीडिएट (11वीं) कक्षा में सत्र 2023–24 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के नामांकन को सत्र 2024–25 में 12वीं कक्षा में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानांतरित करने के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ऑनलाईन विकल्प देने हेतु **दिनांक 21.03.2024 से 31.03.2024 तक** OFSS पोर्टल खुला (Live) रहेगा। इस अवधि में संबंधित सभी विद्यार्थी OFSS पोर्टल के Student Login **(http://online.ofssbihar.in/studentlogin/studentlogin.aspx)** में जाकर अपने नजदीकी अथवा सुविधानुकूल उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें सीट रिक्त है का विकल्प भरना सुनिश्चित करेंगे।

4. **डिग्री महाविद्यालयों (अंगीभूत/सम्बद्ध/अल्पसंख्यक) में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश :–**

I. विद्यार्थी अपने नामांकन को स्थानांतरित करने हेतु अपने नजदीकी अथवा सुविधानुकूल उच्च माध्यमिक विद्यालयों को विकल्प के रूप में भरने के पूर्व रिक्त सीटों की सूची OFSS वेबसाईट **www.ofssbihar.in** पर देख सकते हैं। रिक्त सीटों के अनुसार ही विद्यार्थी विकल्पों का चयन करेंगें। अर्थात जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सीट रिक्त नही है, उसका विकल्प नहीं दिया जा सकता है।

II. पूर्व में नामांकन हेतु उपयोग में लाये गये मोबाईल संख्या एवं Application Reference Number के माध्यम से ही पोर्टल पर Login किया जा सकता है। किसी अन्य मोबाईल अथवा Application Reference Number के माध्यम से Student Login नहीं किया जा सकेगा।

5. संबंधित सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन (Admission) स्थानांतरण हेतु विभिन्न विद्यालयों का विकल्प सावधानीपूर्वक चुनें, क्योंकि OFSS के माध्यम से विकल्प चुनते समय एक बार विकल्प चुनने के पश्चात् वही सारे विकल्प (Options) अंतिम विकल्प माने जाएंगे तथा नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जा सकेगा।

6. विद्यार्थी द्वारा पूर्व में 11वीं कक्षा के लिए जिस संकाय में नामांकन लिया गया है, उसी संकाय में नामांकन हेतु विकल्प स्वीकार किये जायेंगे।

7. सभी संबंधित विद्यार्थी अधिकतम 20 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विकल्प चुन सकते हैं।

8. **नामांकन के स्थानांतरण हेतु विकल्प भरने के लिए विद्यार्थी निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेंगे:–**

(i) **जिला एवं संकाय का विकल्प दिया जाना–**

- Drop Down लिस्ट से जिला को चुनें।
- जिला चुनने के बाद विद्यालय को चुनें।
- विद्यालय चुनने के बाद संकाय को चुनें। जैसे–कला, विज्ञान एवं वाणिज्य।
- Submit बटन पर क्लिक करें।
- Submit बटन पर क्लिक करने के बाद आपका विकल्प दर्ज हो जायेगा।

(ii) विकल्प चुनने के क्रम में उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प पहले भरें। मान लिया जाय कि इण्टरमीडिएट में नामांकन के लिए आपकी पहली प्राथमिकता विज्ञान संकाय में राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्रीनगर, पटना में है, और दूसरी प्राथमिकता या विकल्प विज्ञान संकाय में पटना कॉलेजिएट स्कूल, पटना में है, तो आप राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्रीनगर, पटना में पहली प्राथमिकता का विकल्प भरें और उसके उपरांत पटना कॉलेजिएट स्कूल, पटना का विकल्प भरें। इसी प्रकार इण्टरमीडिएट में नामांकन के लिए अगर आपकी पहली प्राथमिकता एस०जी०डी० पाटलीपुत्रा उच्च विद्यालय, पटना है, और दूसरी प्राथमिकता एस०आर०पी० +2 स्कूल गर्दनीबाग पटना है, तो आप एस०जी०डी० पाटलीपुत्रा उच्च विद्यालय, पटना में पहली प्राथमिकता का विकल्प भरें और उसके उपरान्त दूसरी प्राथमिकता में एस०आर०पी० +2 स्कूल गर्दनीबाग पटना का विकल्प भरें।

9. (i) विद्यार्थियों से विकल्प प्राप्त हो जाने के उपरान्त **दिनांक– 08.04.2024** को OFSS की वेबसाईट **www.ofssbihar.in** पर विद्यालय आवंटन संबंधी सूची प्रकाशित की जायेगी।

(ii) विद्यार्थियों को आवंटित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **दिनांक–08.04.2024 से 14.04.2024 तक** नामांकन लेना होगा।

(iii) विद्यालय आवंटन संबंधी सूची के आधार पर संबंधित विद्यार्थी OFSS Portal से अपना सूचना पत्र (Intimation Letter) का प्रिंट निकालकर संबंधित +2 विद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क स्थापित करेंगे। संबंधित प्राचार्य उक्त सूचना पत्र (Intimation Letter) प्राप्त कर विद्यार्थी का नामांकन संबंधित संकाय में लेंगे एवं OFSS Portal पर +2 विद्यालय का User ID एवं Password के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के नामांकन की सूचना अद्यतन (Update) करेंगे।

(iv) डाउनलोड एवं प्रिंट किये गये सूचना पत्र (Intimation Letter) सहित अन्य सभी मूल अभिलेख यथा–10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं सभी प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित दो–दो प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट आकार के पाँच रंगीन फोटो लेकर संबंधित प्राचार्य से सम्पर्क कर अपना नामांकन करायेंगे।

(v) **अगर कोई आवेदक उन्हें आवंटित +2 विद्यालय में नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र 2024–25 में उनका नाम OFSS System से हटा दिया जायेगा अर्थात् उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।** आवेदकों को पुनः सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिये उन्हें आवंटित शिक्षण संस्थान से सम्पर्क करना चाहिए और नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

10. **उच्च माध्यमिक विद्यालय के संबंधित सभी प्रधानाध्यापकों के लिए आवश्यक निर्देश :–**

(i) चूँकि नामांकन निर्धारित समयावधि में लिया जाना है, अतः नामांकन की प्रक्रिया सुचारू रूप से एवं ससमय सम्पन्न हो, इसके लिये आपके स्तर से इस कार्य का दैनिक आधार पर एवं सघन रूप से अनुश्रवण आवश्यक है। अतः सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निदेश दिया जाता है कि नामांकन की प्रक्रिया हेतु आवश्यक काउन्टर की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही विद्यार्थियों की सुविधा हेतु प्रत्येक संस्थान द्वारा उपयुक्त स्थलों पर उक्त संस्थान के लिये नामांकित विद्यार्थियों की सूची भी लगायी/चिपकायी जाय। सभी प्रधानाध्यापक इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा तथा ऐसे संस्थानों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

(ii) दिनांक 08.04.2024 को जो विद्यार्थी संबंधित संस्थान में नामांकन लेंगे उनकी सूची OFSS पोर्टल के संस्थान Login में **दिनांक 09.04.2024 को** निश्चित रूप से संस्थान द्वारा अपडेट कर दिया जाय। इसी प्रकार, दिनांक 09.04.2024 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 10.04.2024 को, दिनांक 10.04.2024 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 11.04.2024 को, दिनांक 11.04.2024 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 12.04.2024 को, दिनांक 12.04.2024 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 13.04.2024 को एवं दिनांक 14.04.2024 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 15.04.2024 को संस्थान द्वारा OFSS पोर्टल पर Login कर अवश्य ही अपडेट कर दिया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित संस्थान एवं उनके प्रधानाध्यापक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

11. **सभी डिग्री महाविद्यालय के प्राचार्यो के लिए आवश्यक निर्देशः–**

(i) अपने महाविद्यालय के इन्टरमीडिएट कक्षा में अध्ययनरत् सभी विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त कर स्थानान्तरण प्रमाण–पत्रादि निर्गत करें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

1.	विद्यार्थियों से विकल्प मांगे जाने हेतु पोर्टल Live किया जाना	21.03.2024
2.	विद्यार्थियों से विकल्प मांगे जाने हेतु पोर्टल बन्द किया जाना	01.04.2024
3.	विद्यालय आवंटन किया जाना	08.04.2024
4.	उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन प्रारम्भ किया जाना	08.04.2024
5.	नामांकन बन्द किया जाना	14.04.2024
6.	नामांकन को OFSS पोर्टल पर अपडेट किये जाने की अन्तिम तिथि	15.04.2024

12. नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाईट **www.ofssbihar.in** पर प्राप्त की जा सकती है।

13. अगर उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो **हेल्पलाईन दूरभाष संख्या 0612–2230009** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संयुक्त सचिव (OFSS)